न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

प्रथम लिंक पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

225RTA2024-093(GCMS2024-172)

1. प्रेमसिंह पुत्र पुरखाराम
2. प्रकाशसिंह पुत्र पुरखाराम
3. तखतसिंह पुत्र पुरखाराम
4. सुरेन्द्रसिंह पुत्र पुरखाराम
5. चन्द्रजीतसिंह पुत्र पुरखाराम

समस्त जाति माली,
निवासीगण महामन्दिर थाने के पीछे
जोधपुर

----- अपीलाण्ड्स

ब

ना

म

1. हेमराज पुत्र डूंगरसिंह माली
   निवासी गली नम्बर 3 नयापुरा
   लालसागर, जोधपुर
2. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार जोधपुर
3. थानाधिकारी, पुलिस थाना मण्डोर
   जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर प्रकरण कमांक न्यायिक/2024/142-148 दिनांक 26 मार्च 2024

--- 0 ---

उपस्थित -

- श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स
- श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1
- श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 2

नि र्ण य

दिनांक : 31 जुलाई 2024

अपीलाण्ड्स ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या न्यायिक/2024/142-148 में पारित आदेश दिनांक 26 मार्च 2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 27 मई 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक ने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर आराजी खसरा संख्या 65, 68 व 69 वाके ग्राम आंगणवा स्वयं की कयशुदा, कब्जे काश्त एवं खातेदारी होना जाहिर किया और अपीलाण्ट्स को पाबन्द किया जाकर उक्त भूमि तक आवागमन हेतु सुगम रास्ता प्रदान किया जाने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र के आधार पर जरिये अपीलाधीन आदेश तहसीलदार जोधपुर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना मण्डोर को वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक व उसके वारिसान को आवागमन में अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स द्वारा बाधा उत्पन्न नहीं किये जाने बाबत निर्देशित किया। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्सने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमो में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अनाधिकारपूर्ण एवं प्रवृतिहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी को इस प्रकार का आदेश पारित करने का कोई अधिकार उपलब्ध नही है। रास्ते संबंधित किसी विवाद का निस्तारण करने हेतु उपखण्ड अधिकारी सक्षम नहीं है, मात्र धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत ही विधिक प्रकिया अपनायी जाकर कोई आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया गया कि रेस्पो. संख्या एक द्वारा आराजी खसरा संख्या 65, 68 व 69 वाके ग्राम आंगणवा में आवागमन हेतु रास्ते की मांग की गई, किन्तु रेस्पो. संख्या एक स्वयं उक्त भूमि का खातेदार नहीं है, अतः उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र चलने योग्य ही नहीं है। रेस्पो. संख्या एक की ओर से प्रस्तुत एक शिकायती पत्र के आधार पर विचारण न्यायालय ने बिना को पत्रावली संधारित किये, संबंधित पक्षकारान को तलब कर सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। खसरा संख्या 65, 68 व 69 वाके ग्राम आंगणवा बाबत राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रिकार्ड में जिस व्यक्ति के नाम इंद्राजात है, उन इन्द्रांजात को चुनौती देते हुए प्रस्तुत वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलाण्ट्स उक्त भूमि पर सन् 1976 से काबिज है और पूर्व में पुलिस अनुसंधान में भी यह तथ्य प्रमाणित हो चुका है एवं मूल बेचानपत्र भी अपीलाण्ट्स के पावर व पजेशन में है। मूल वाद में इस मामले में कई बिन्दु विचाराधीन है मगर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश बिना कोई विचार किये ही पारित कर दिया गया। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने न्यायालय का ध्यान 2000 आरआरडी 174, 1984 आरआरडी 463, 1984 आरआरडी 514 एवं 2009(16) आरबीजे 520 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक ने जाहिर किया कि रेस्पो. संख्या एक ने विचारण न्यायालय के समक्ष खसरा संख्या 65, 68 व 69 ग्राम आंगणवा में असामाजिक तत्वों द्वारा कृषि कार्य में परेशानी किया जाना जाहिर कर प्रार्थनापत्र पेश किया, जिसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रशासनिक आदेश तहसीलदार जोधपुर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना मण्डोर को जारी किया। उक्त प्रशासनिक आदेश के खिलाफ आलौच्य अपील चलने योग्य ही नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट संधारणीय नहीं होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया गया। जहॉ तक आलौच्य अपील की संधारणीयता का प्रश्न है, इस संबंध में 2009(16) आरबीजे 520 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा धारित किया गया है कि यदि किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा नियमों के विरुद्ध कोई प्रशासनिक आदेश जारी किया जाता है तो ऐसे आदेश के खिलाफ व्यथित पक्षकार सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील/निगरानी प्रस्तुत कर सकता है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त एवं प्रस्तुत अन्य नजीरों के परिप्रेक्ष्य में आलौच्य अपील अदालत हाजा में संधारण-योग्य पायी जाती है। अतः अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी

की संधारणीयता के संबंध में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक द्वारा प्रस्तुत तर्क खारिज किया जाता है।

प्रकरण के गुणावगुण के संबंध में प्रस्तुत बहस एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों बाबत मनन किये जाने पर प्रकट होता है कि उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर द्वारा मामले में मात्र एक प्रार्थनापत्र (जिसमें वर्णित भूमि बाबत प्रार्थी के अधिकारों एवं स्वत्वों का कोई प्रमाण भी पेश नहीं किया गया) के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, प्रार्थनापत्र में जिन व्यक्तियों के खिलाफ अनुतोष चाहा गया, उन व्यक्तियों को न तो तलब किया गया और न ही विधिक प्रकिया के अनुरूप सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया। इतना ही नहीं, प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों की सत्यता बाबत भी कोई जांच नहीं की गयी। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि रास्ते संबंधित किसी विवाद का मात्र धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत ही विधिक प्रकिया अपनायी जाकर कोई आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है। ऐसे मामलें का निस्तारण करने हेतु उपखण्ड अधिकारी सक्षम नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश अनाधिकारपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है और उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26 मार्च 2024 अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31 जुलाई 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.07.24

(अजीत सिंह राजावत)
प्रथम लिंक अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर